


:- नोटिस :-

विषय:- फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में।

केन्द्रीय बिक्रीकर नियमावली 1957 के नियम-8 के उपनियम (13) के प्राविधान के अन्तर्गत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हे निम्न क्रमांक के फार्म-सी वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुये प्राप्त हुये थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा।

क्र.सं.	व्यापारी का नाम व पता	फार्म का प्रकार / संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	कुल संख्या
	सर्वश्री गैलेण्ट इस्पात लि०, सेक्टर-23 गीडा सहजनवा- गोरखपुर।	फार्म-सी	व्यापारी द्वारा खोये गये	69
1.	उक्त	0268093	व्यापारी द्वारा खोये गये	
2.	उक्त	1216403	व्यापारी द्वारा खोये गये	
3.	उक्त	1216405	व्यापारी द्वारा खोये गये	
4.	उक्त	1216406	व्यापारी द्वारा खोये गये	
5.	उक्त	1216407	व्यापारी द्वारा खोये गये	
6.	उक्त	1216408	व्यापारी द्वारा खोये गये	
7.	उक्त	1227154	व्यापारी द्वारा खोये गये	
8.	उक्त	1227179	व्यापारी द्वारा खोये गये	
9.	उक्त	1472172	व्यापारी द्वारा खोये गये	
10.	उक्त	1472301	व्यापारी द्वारा खोये गये	
11.	उक्त	1472321	व्यापारी द्वारा खोये गये	
12.	उक्त	0602907	व्यापारी द्वारा खोये गये	
13.	उक्त	0602916	व्यापारी द्वारा खोये गये	
14.	उक्त	0602925	व्यापारी द्वारा खोये गये	
15.	उक्त	0602983	व्यापारी द्वारा खोये गये	
16.	उक्त	0602984	व्यापारी द्वारा खोये गये	
17.	उक्त	0603006	व्यापारी द्वारा खोये गये	
18.	उक्त	0611018	व्यापारी द्वारा खोये गये	
19.	उक्त	0611019	व्यापारी द्वारा खोये गये	
20.	उक्त	0611037	व्यापारी द्वारा खोये गये	
21.	उक्त	0611038	व्यापारी द्वारा खोये गये	
22.	उक्त	0611039	व्यापारी द्वारा खोये गये	
23.	उक्त	0611044	व्यापारी द्वारा खोये गये	
24.	उक्त	0611045	व्यापारी द्वारा खोये गये	

65.	उक्त	1216300	व्यापारी द्वारा खोये गये	
66.	उक्त	1216301	व्यापारी द्वारा खोये गये	
67.	उक्त	1216302	व्यापारी द्वारा खोये गये	
68.	उक्त	1216360	व्यापारी द्वारा खोये गये	
69.	उक्त	1216361	व्यापारी द्वारा खोये गये	


 (हरी राम)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
 मुख्यालय, लखनऊ।

पृ०पत्रसं० दिनांक- उक्त.

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु प्रेषित।

- 1- अधीक्षण, मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करे तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करे।
- 2- अपर मुख्य सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग 30प्र० शासन सचिवालय लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 30प्र० शासन सचिवालय लखनऊ।
- 4- समस्त आयुक्त, वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्रशासित संघों को।
- 5- महालेखाकार 30प्र०, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, निकट मा० उच्च न्यायालय, प्रयागराज, 30प्र० 211001
- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, 30प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, 30प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा० / अपील) वाणिज्य कर, 30प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 10- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्याय० कार्य०) वा०कर इलाहाबाद / लखनऊ।
- 11- डिप्टी कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 12- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हो।
- 13- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
- 14- मैनुअल अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय।


 (राजीव सिंह)

डिप्टी कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
 मुख्यालय, लखनऊ।